निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :91/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

कालू पुत्र बालू जाति जाट निवासी ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. डा॰ राकेश मीणा पीठासीन अधिकारी उप खण्ड अधिकारी प्रथम, जयपुर।
2. भैरूराम पुत्र सुजाराम जाति जाट निवासी ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।
3. कैलाश पुत्र रामनाथ,
4. झूंथराम पुत्र रामनाथ,
5. रामलाल पुत्र रामनाथ,
6. हरदेव पुत्र बालू,
7. गोपाल पुत्र सूजाराम,
8. नानूडी पत्नी सूजाराम,
9. मूलचन्द पुत्र सूजाराम,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 69/2021 ब उनवानी भैरूराम बनाम कैलाश व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री गोपाल लाल बाना अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री एस एस सुण्डा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5, 7, 8 व 9 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 20.06.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 69/2021 ब उनवानी भैरूराम बनाम कैलाश व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5, 7, 8 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री एस एस सुण्डा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 218 व 111 भू–राजस्व अधिनियम भैरूराम बनाम कैलाश व अन्य पेश किया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 2

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

एक राजनैतिक एप्रोच वाला व्यक्ति जो आये दिन प्रार्थी को धमकी देता है कि एस डी ओ साहब उसके परिचित है और मेरे कहे अनुसार मेरे पक्ष में निर्णय पारित करेंगे। दिनांक 13.04.2022 को प्रार्थी जब तारीख पेशी हेतु न्यायालय में उपस्थित हुआ तो अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से बाहर आया तथा प्रार्थी को वहां खडा देख कर प्रार्थी को धमकी दी कि मै शीघ्र ही उक्त प्रकरण में मेरे पक्ष में निर्णय पारित करवा लूंगा तथा तुम्हें पत्थरगढी की आड़ में बेदखल करके रहूंगा तथा प्रार्थी को कहा कि प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशी ले कर निर्णय करवा लूंगा । दिनांक 18.04.2022 को प्रार्थी द्वारा न्यांयालय से जबाब हेतु समय चाहा गया, परन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी की किसी बात पर बिना गौर किये अप्रार्थी संख्या 2 के चाहे अनुसार ही 22–4–2022 तारीख पेशी फरमा दी गई तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पुनः न्यायालय में ही प्रार्थी को अपने पक्ष में निर्णय कराने व उसको बेदखल करने की एलानियां धमकी दी। जिससे प्रार्थी को यह अन्देशा हो गया कि उसके उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए प्रकरण के निष्पक्ष निर्णय हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी धारा 128 व 111 भू–राजस्व अधिनियम का विचाराधीन है प्रार्थी पत्थरगढी के आदेश नहीं चाहता है। इसलिए प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से झूठे एवं काल्पनिक तथ्यों यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. चूंकि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष पक्षकारान के मध्य पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र शेष पक्षकारान की तामील व जबाब में विचाराधीन है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है।

8. उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

20/06/22

(राजीव विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर